फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

केनफीन होम्स लिमिटेड शाखा कार्यालय प्लोट नं. 643, सुभाष विला हिरण मगरी, सेक्टर 13, उदयपुर (राज.) जरिये अधिकृत अधिकारी अशोक कुमार गौतम पिता श्री बी.डी. शर्मा। — **प्रार्थी**

बनाम

1. श्रीमती मोहन कुंवर पत्नि श्री धनसिंह झाला, निवासी मकान नं. 28, ग्राम डाबियो का गुडा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला — राजसमन्द(राज.) **(ऋणी)**
2. श्री धनसिंह झाला पिता श्री जोरावर सिंह झाला, निवासी मकान नं. 28, ग्राम डाबियो का गुडा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला — राजसमन्द **(सहऋणी)**
3. श्री देवपालसिंह झाला पिता श्री धनसिंह झाला,निवासी मकान नं. 28, ग्राम डाबियो का गुडा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला — राजसमन्द(राज.) **(सहऋणी)**
4. श्री पूरणसिंह झाला पिता श्री रामसिंह झाला निवासी ग्राम फलीचडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर(राज.) **(जमानती)**

—अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 22 / 2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24 / 08 / 2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी केनफीन होम्स लिमिटेड शाखा उदयपुर है। प्रार्थी कम्पनी ने इस न्यायालय में दिनांक 27.07.2020 को धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण 1, 2 व 3 ने प्रार्थी कंपनी के उदयपुर स्थित शाखा कार्यालय से एक आवास ऋण प्राप्त किया था। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त ऋण के पेटे में प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में अपने मालिकाना हक की सम्पत्ति जो कि खसरा नं0 406, मकान नं. 28, ग्राम डाबियो का गुडा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला — राजसमन्द में स्थित हैं को Equitable Mortgage किया था इस क्रम में विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में उक्त सम्पत्ति के मूल मालिकाना हक के दस्तावेजों को सिक्योरिटी मोर्टगेज किये गये। उक्त आवास ऋण विपक्षी संख्या 1 के मालिकाना हक की सम्पत्ति खसरा नं0 406, मकान नं. 28, ग्राम डाबियो का गुडा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला — राजसमन्द में स्थित हैं को Equitable Mortgage किया गया हैं। उक्त मकान का संपूर्ण एवं प्रत्येक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में Equitable Mortgage हैं। साथ ही उक्त ऋण विपक्षी संख्या 4 की गारन्टी द्वारा भी सिक्योर किया गया हैं। विपक्षीगण लोन एग्रीमेन्ट एवं लोन की शर्तो के अनुसार उक्त ऋण के पुनः भुगतान में असफल हुए है तथा	

न्यायालय जिला कलक्टर

बकाया राशि के पुर्नभुगतान में असफल होने पर उक्त ऋण खाता आर.बी. आई. की गाईड लाईन के अनुसार वर्तमान में Non Performing Assests (NPA) की श्रेणी में आ चुका है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09.12.2019 को धारा 13 (2) सिक्यूटराईजेशन एक्ट, 2002 के अर्न्तगत एक पंजीकृत सूचना पत्र विपक्षीगणों को प्रेषित कर बकाया राशि 20,66,594/— अक्षरे बीस लाख छासठ हजार पांच सौ चौराण्वें रूपये की मांग की गई, उक्त राशि में दिनांक 09.12.2019 तक की समस्त बकाया राशि, ब्याज एवं खर्चे सम्मिलित हैं। दिनांक 09.12.2019 को प्रेषित पंजीकृत सूचना पत्र में उक्त राशि का भुगतान 60 दिवस के भीतर विपक्षी को प्रार्थी के पक्ष में करने हेतु निर्देशित किया गया था। विपक्षीगण को उक्त नोटिस प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी विपक्षी द्वारा इसे नजर अन्दाज किया गया। अतः प्रार्थी विपक्षी के विरूद्व को धारा 13 (2) सिक्यूटराईजेशन एक्ट, 2002 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों का प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त मोर्टगेज की हुई सम्पत्ति का Constructive Possession लिया जा चुका हैं। प्रार्थी द्वारा कई बार आग्रह करने के उपरान्त भी विपक्षीगणों ने उक्त बंधक सम्पत्ति का Physical Possession प्रार्थी को सूपर्द नही किया हैं। अधिनियम की धारा 14 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार माननीय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द को उक्त सम्पत्ति क़ा भौतिक कब्जा प्रार्थी को दिलवाने का अधिकार प्राप्त हैं। विपक्षीगणों के उक्त सम्पत्ति में विपक्षीगणो के निवासरत होने से उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने में प्रार्थी को कठिनाई हो रही हैं। उक्त सम्पत्ति जो कि खसरा सं0 406, मकान नं. 28, ग्राम डाबियो का गुडा, ग्राम पंचायत करौली, तहसील नाथद्वारा, जिला — राजसमन्द में स्थित हैं। जिसके पडौस निम्न प्रकार है — पूर्व :— श्री नरेन्द्रसिंह का मकान, पश्चिम :— खुला चौक, उत्तर :— श्री ईश्वर सिंह का मकान, दक्षिण :— श्री शंभुसिंह का मकान हैं।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी केनफीन होम्स लिमिटेड शाखा कार्यालय प्लोट नं. 643, सुभाष विला हिरण मगरी, सेक्टर 13, उदयपुर (राज.) के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी केनफीन होम्स लिमिटेड शाखा कार्यालय प्लोट नं. 643, सुभाष विला हिरण मगरी, सेक्टर 13, उदयपुर (राज.) को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द